

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, वैशाली, हाजीपुर

दावा वाद संख्या 30/2007

दिनांक 11.06.2025

कार्यालय द्वारा मूल अभिलेख 30/007 प्रस्तुत किया गया है जो कि बहस हेतु लंबित है। अभिलेख पर विविध वाद संख्या 1/2022 का अभिलेख भी उपलब्ध है जिसमें विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.08.2019 को एक आवेदन दिया गया है जिसमें विपक्षी संख्या 1 राजबल्लभ सिंह से कभी मुलाकात नहीं होने और पहचान नहीं होने तथा आवेदिका के अधिवक्ता अवनीश कुमार द्वारा आवेदिका को लाम पहुंचाने एवं न्यायालय को, विपक्षी को धोखा देने के आशय से फर्जी उत्तर पत्र न्यायालय में दाखिल करने तथा वकीलनामा और उत्तर पत्र दिनांक 17.08.2008 पर विपक्षी राजबल्लभ सिंह द्वारा उनके सामने हस्ताक्षर नहीं करने एवं अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार पर समुचित कार्रवाई करने की प्रार्थना की गयी है। संबंधित अधिवक्ता का नाम विपिन कुमार सिंह है और उनके द्वारा एक शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है। इसके विरुद्ध अधिवक्ता

दिनांक 21.06.2025 को हेतु।

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय